फैक्स/मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 412 /24 अधि0प्राप्ति/03 देहरादून, दिनांक 07 अप्रैल, 2016

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :– **लोक निर्माण विभाग के स्टोर/मैंगजीन में रखे जा रहे विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में।**

विभाग में पहाड़ कटान एवं मार्गों पर स्लिप्स् बोल्डर हटाये जाने हेतु विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नियमानुसार किया जाता है। विस्फोटक सामग्री के स्टोर में रखे जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 1415/III(2)–09–75(सामान्य)/2009 दिनांक 07.04.2010 जो कि इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र संख्या 243/24 अधि0प्राप्ति/10 दिनांक 15.04.2010 तथा पत्र संख्या 244/24 अधि0प्राप्ति/10 दिनांक 20.04.2010 द्वारा विस्फोटक सामग्री के भण्डारण एवं प्रयोग के सम्बन्ध में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, संलग्न कर मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा/पौड़ी एवं समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रेषित किये गये थे। (उक्त पत्रों की प्रतियां मय संलग्नक के पुनः संलग्न) संलग्नक में विस्फोटक सामग्री के प्रयोग एवं रख–रखाव किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

अतः पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि विस्फोटक सामग्री के रख–रखाव एवं प्रयोग दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आवांछित तत्वों (यथा–आतंकवादी आदि) द्वारा इसका गलत दुरूपयोग किया जा सकता है। अतः इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए आप स्वयं समय–समय पर मैंगजीन का निरीक्षण एवं सत्यापन कार्यस्थल पर किया जाना सुनिश्चित करेगें एवं विस्फोटक सामग्री लाइसेंस शुदा ठेकेदार को ही निर्गत करें। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें अत्यधिक सतर्कता बरती जानी नितान्त आवश्यक है।

संलग्न–पत्रानुसार।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि संलग्नकों की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

संलग्न–पत्रानुसार।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।

पत्रांक– 244/24अधिप्राप्ति /10 दिनांक– 20/4/10

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,कु0/ग0 क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा/पौड़ी।

(2) अधीक्षण अभियन्ता.....वॉ वृत्त
लो0नि0वि0.....

विषय– **Procurement, transportation, possession and use of explosives by the Public Work Department of Uttarakhand- serious irregularities regarding.**

सन्दर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक– 156/10अधि0/09 दि0 25.03.10।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के साथ पैट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पत्रांक ई0(1)2/जी0एफ0 दिनांक–16.03.10 की प्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित की गयी थी कि पत्र में प्रेषित गाइड लाइन को अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं को भी प्रसारित करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्रों की छाया प्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त पत्रों को भी तदनुसार अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं को प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– पत्रानुसार।

19/4

मुख्य अभियन्ता,स्तर–।
लो0नि0वि0,देहरादून
16/4/10

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
13 APR 2010
लोक नि० वि० देहरादून

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
(पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग)
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल आगरा

फोन– 0562–2523266
फैक्स–0562–2527436

ए–विंग, द्वितीय तल
सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स
63/4, संजय प्लेस, आगरा–282002

पत्रांक– E.(1)2/G.F.

दिनांक– 07–04–2010

08 APR 2010

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर–1
कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
प्रकीर्ण वर्ग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

विषय– विस्फोटकों की प्राप्ति, परिवहन, कब्जे में रखने एवं प्रयोग में गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 156/10 अधिप्राप्ति/09 दिनांक 25–03–2010 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18–03–2010 द्वारा प्रेषित किये गये अनुलग्नकों को एतद्द्वारा प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल आगरा

पंजीकृत डाक से

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
(पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग)
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा

फोन नं0: 0562–2523266 / 2523244
फैक्स नं0: 0562–2527436

ए–विंग द्वितीय तल
केन्द्रालय 63 / 4 संजय प्लेस
आगरा–282002

कारण बताओ नोटिस

पत्रांक ई / सीसी / यूसी / 22 / 64 / ई34107 दिनांक : 13–01–2010

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

14 JAN 2010

विशय: ग्राम–पथाली जिला–रूद्रप्रयाग स्थित विस्फोटक भण्डारण गृह अनुज्ञप्ति संख्या ई / सीसी / यूसी / 22 / 64 / ई34107 के संबंध में।

महोदय

आपके द्वारा प्रेषित मासिक विवरणी से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है:–

1– दिनांक 5 / 7 / 2009 को 25 किग्रा0 विस्फोटक (विस्फोटक का नाम अंकित नहीं है) के साथ 300 नं0 डिटोनेटर एवं 183 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया।

2– दिनांक 14 / 7 / 2009 को 50 किग्रा0 विस्फोटकों के साथ 500 नं0 डिटोनेटर एवं 366 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है।

3– दिनांक 28 / 7 / 2009 25 किग्रा0 विस्फोटकों के साथ 250 डिटोनेटर एवं 183 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है।

उपरोक्त आंकडो से यह ज्ञात हुआ है कि प्रति डिटोनेटर 1 / 2 मी0 से 3 / 4 मी0 तक सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया। ऐसा लगता है कि यह आंकडे सही नहीं है। जैसाकि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24 / 9 / 2009 के द्वारा आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी थी इसके बावजूद आप के द्वारा प्रेषित मासिक विवरणी मे किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आया है । आपके द्वारा दिनांक 26 / 9 / 2009 को 10 किग्रा0 विस्फोटक एवं 100 नं0 डिटोनेटर्स के साथ 73.20 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया अर्थात प्रति होल .73 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया जो कि असंभव एवं गैरकानूनी है। दिनांक 30 / 9 / 2009 को आपके द्वारा 25 किग्रा विस्फोटक एवं 250 नं0 डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया जबकि दिनांक 01 / 10 / 2009 को 25 किग्रा विस्फोटकों के साथ 200 नं0 डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया अर्थात एक दिन के अन्तराल पर उसी विस्फोटकों की मात्रा के साथ 50 नं0 डिटोनेटर्स अधिक इस्तेमाल किये गये।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24 / 9 / 2009 के द्वारा दिए गए सुझावों को आपके द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया गया है। आपको यह सलाह दी गयी थी कि विस्फोटकों के साइट पर इस्तेमाल की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा देखरेख की जाए, विस्फोटकों के सही इस्तेमाल की जांच की जाए प्रत्येक शाट फायरर के लिए अलग–अलग इश्यू रजिस्टर बनाया जाए, जारी किए गए विस्फोटक एवं इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की जांच की जाए। आपके द्वारा मासिक विवरणी में दर्शाये गये आंकडे सही नहीं है एवं बनावटी है। यह समझ से परे है कि अलग–अलग दिनों में जारी किए गए विस्फोटक एवं डिटोनेटर की संख्या 50 किग्रा0, 25 किग्रा0, 15 किग्रा0, 50 किग्रा0, 50 किग्रा0, 60 किग्रा0 एवं डिटोनेटर्स की संख्या 500, 250, 150, 500 इत्यादि है। यह सही नहीं प्रतीत होता है जैसाकि आपको पूर्व में सलाह दी गयी थी कि विस्फोटक एवं डिटोनेर्स के इश्यू एवं इनके इस्तेमाल की जांच करें परन्तु आपके द्वारा इस सलाह को अमल में नहीं लाया जा रहा है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए विषयक परिसर के लिए जारी अनुज्ञप्ति को निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव है। कृपया पत्र जारी होने के 15 दिनो के अन्दर कारण बताये कि उक्त को ध्यान में रखते हुए क्यो न आपकी विषयक अनुज्ञप्ति निलम्बित कर दी जाए। उक्त अवधि में आपका जवाब प्राप्त न होने पर आपको और कोई सूचना दिए बिना विषयक अनुज्ञप्ति के निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
(पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग)
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा

फोन नं0: 0562–2523266 / 2523244
फैक्स नं0: 0562–2527436

ए–विंग द्वितीय तल
केन्द्रालय 63 / 4 संजय प्लेस
आगरा–282002

स्पीड पोस्ट

पत्रांक ई / एचक्यू / यूसी / 22 / 18 / ई2204

दिनांक : 14 / 01 / 2010

सेवा में

प्राप्त किया.....
दिनांक.....
15 JAN 2010

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग
जिला–चमोली (उत्तराखण्ड)

विषय कर्णप्रयाग जिला–चमोली स्थित आपकी विस्फोटक भण्डारण मैगजीन अनुज्ञप्ति संख्या ई / एचक्यू / यूसी / 22 / 18 / ई2204 के निलम्बन के संबंध में।

महोदय

आपका ध्यान इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 5 / 10 / 2009 एवं 14 / 12 / 2009 की ओर आकर्षित किया जाता है। इस संबंध में आपसे प्राप्त पत्र दिनांक 30 / 12 / 2009 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके उक्त पत्र से ज्ञात हुआ है कि आप इस कार्यालय द्वारा दिए गए सुझावों को गम्भीरता से नहीं ले रहे है। आपके द्वारा प्रेषित की गयी मासिक विवरणी में निम्न अनियमिततायें पायी गयी:–

1– विस्फोटको के एकाउन्ट में आपने दिनांक 26 / 6 / 2009 से 25 / 9 / 2009 तक विस्फोटकों की प्राप्ति इकट्ठा दर्शायी है जबकि प्रत्येक कन्साइन्मेन्ट की प्राप्ति अलग–अलग दर्शाया जाना आवश्यक है।

2– जिस दिन कन्साइन्मेन्ट प्राप्त होता है उस दिन का मौजूदा एक्सप्लोसिव कालम नं0– 1, 2, 3 एवं 4 में दर्शायें तथा प्राप्त एक्सप्लोसिव का विवरण कालम नं0– 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 में दर्शाये।

3– आपसे प्राप्त आरई–5 में कई अनियमिततायें पायी गयी जैसे दिनांक 30 / 6 / 2009 को श्री हरी सिंह ने 5 किग्रा0 हाई एक्सप्लोसिव एवं 60 नं0 डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया जबकि सेफ्टी फ्यूज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। यह कार्यालय यह समझने में असमर्थ है कि साधारण डिटोनेर्स एवं हाई एक्सप्लोसिव सेफ्टी फ्यूज के बिना किस प्रकार इस्तेमाल किए गए।

4– दिनांक 2 / 7 / 2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक एवं 40 नं0 डिटोनेर्स को बिना किसी सेफ्टी फ्यूज के इस्तेमाल किया गया।

5– दिनांक 5 / 7 / 2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक बिना किसी डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज के इस्तेमाल किया गया है।

6– दिनांक 5 / 7 / 2009 को ही 5 किग्रा0 विस्फोटक आनन्द गिरि को जारी कियागया एवं उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया।

7– दिनांक 6 / 7 / 2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज के बिना किया गया । अगर आपके द्वारा डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज के बिना विस्फोटकों को इस्तेमाल करने का कोई नया तरीका निकाला गया है तो इस कार्यालय को अवगत करायें।

8– दिनांक 9 / 7 / 2009 को हरीसिंह द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक एवं 60 नं0 डिटोनेर्स का इस्तेमाल किया गया।

9– दिनांक 12 / 7 / 2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक एवं 40 नं0 डिटोनेटर्स का बिना सेफ्टी फ्यूज के इस्तेमाल किया गया।

ऐसी अनियमिततायें दिनांक 3 / 8 / 09, 5 / 8 / 09, 12 / 8 / 09, 27 / 8 / 09, 28 / 8 / 09 (दो बार), 29 / 8 / 09, 31 / 8 / 09 (तीन बार) 01 / 9 / 09 (दो बार), 2 / 9 / 09 (दो बार), एवं अन्य कई दिन पायी गयी। रिटर्न से यह ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा केवल राजजेल–90, साधारण डिटोनेटर एवं सेफ्टी फ्यूज

का क्रय किया जाता एवं उन्हे इस्तेमाल किया जाता है। यह समझ में नहीं आता है कि बिना सेफ्टी फ्यूज के डिटोनेर्स एवं विस्फोटक का एवं बिना डिटोनेटर एवं सेफ्टी फ्यूज के हाई एक्सप्लोसिव का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपके द्वारा विस्फोटकों का रिकार्ड सही प्रकार से नही मेन्टेन किया जाता है। यह गम्भीर उल्लंघन है एवं सुरक्षा की दृष्टि से इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है। जैसाकि आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 5/10/2009 एवं 14/12/2009 के द्वारा सलाह दी गयी थी आपके द्वारा प्रेषित रिटर्न में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए विषयक परिसर के लिए जारी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन आदेश इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि रिकार्ड में सुधार कर संशोधित प्रारूप आई–5 एवं आरई–7 इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल आगरा

प्रतिलिपि प्रेषितः श्रीमान जिलाधिकारी, चमोली।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल आगरा

(बी) – विस्फोटकों का परिवहन

क्या करें –

1. विस्फोटक नियम 2008 के नियम 47 के प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रत्येक विस्फोटक मैगजीन अनुज्ञप्तिधारी कम से कम 24 घण्टे पूर्व जहाँ से कन्साइनमेन्ट भेजा जा रहा है, उस क्षेत्र के निकटस्थ पुलिस थाने में तथा जहाँ के लिए कन्साइनमेन्ट भेजा जा रहा है, उस क्षेत्र के निकटस्थ पुलिस थाने में सूचित करेगा तथा उनसे मय तिथि पावती प्राप्त करेगा ।
2. नियम 47(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को पास आरई 12 जमा करने के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पावती प्राप्त करना आवश्यक है एवं विस्फोटक परिवहन करने वाले यान में भी उक्त पावती की एक प्रति उपलब्ध होनी चाहिए ।
3. परिवहन वाहन को सदैव यांत्रिक रूप से एवं सड़क पर चलने लायक अच्छी दशा में बनाए रखें ।
4. विस्फोटक यान में सदैव दो अग्निशामक साथ रखें ।
5. विस्फोटक यान के खराब हो जाने के स्थिति में विस्फोटक नियंत्रक एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करें ।
6. विस्फोटकों के परिवहन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज सदैव साथ रखें –
   - क. प्ररूप आरई – 11 में इन्डेन्ट
   - ख. प्ररूप आरई – 12 में पास
   - ग. विस्फोटक यान के अनुज्ञप्ति की प्रति
   - घ. बिल/इन्वॉयस
7. विस्फोटकों के परिवहन के दौरान विस्फोटक यान के साथ दो सशस्त्र गार्ड सदैव साथ होने चाहिए । एम0 एच0 ए0 द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस सशस्त्र गार्डों का प्रावधान होना चाहिए ।
8. केवल प्रशिक्षित ड्राईवर एवं क्लीनर को ही नियुक्त करें, जिनका पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित हो ।
9. विस्फोटक ले जा रहे दो यानों के मध्य 300 मीटर की दूरी सदैव बनाए रखें ।
10. विस्फोटकों की लदाई / उतराई केवल तब ही करें जब विस्फोटक यान का –
    - क. इंजिन बन्द अवस्था में हो ।
    - ख. पहिए जाम हों ।
    - ग. हैण्ड ब्रेक लगे हुए हों ।
11. घनी आबादी एवं महापालिका सीमाओं के मध्य के रास्ते से गुजरने से सदैव बचें ।
12. किसी भी दुर्घटना की सूचना विस्फोटक नियंत्रक, जिला अधिकारी एवं पुलिस को सदैव दें ।

क्या न करें –

1. सड़क पर परिवहन के दौरान अकारण या लम्बी अवधि के लिए विस्फोटक यान को रोकें नहीं ।
2. विस्फोटकों के साथ ज्वलनशीन वस्तुओं का परिवहन न करें ।
3. अन्य प्रकार के विस्फोटकों के साथ डिटोनेटर्स का परिवहन न करें ।
4. यान में विस्फोटकों का परिवहन करने के दौरान यात्रियों को न ले जाएं ।
5. ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त न करें जो –
   - क. 18 वर्ष से कम आयु का हो ।
   - ख. नशे की स्थिति में हो ।
   - ग. मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य हो ।
6. गृह मंत्रालय (एम0 एच0 ए0) द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में रात को (सूर्यास्त से सूर्योद तक) विस्फोटकों का परिवहन न करें ।

1069

SL-16

सं0:–1457 / III(2)–09–75(सामान्य) / 2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निमार्ण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण विभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 07 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2010

विषयः उत्तराखण्ड के लो0नि0वि0 द्वारा विस्फोटकों की प्राप्ति, परिवहन, कब्जे में रखने एवं प्रयोग के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री डी विजयन, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन मध्यांचल, आगरा का पत्रांकः ई(1)2 / जी0एफ0 दिनांक 17–03–2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र के साथ संलग्न किये गये सुझावों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। चूंकि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रकृति का है अतः इस सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

सं0:– / III(2)–09–75(सामान्य) / 2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी।
2– मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनुसचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लो0नि0वि0, देहरादून
पत्रांक :- 243 / 24 अधिशासी / 10 दिनांक 15/4/10
प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, ग0 / कु0 क्षे0 लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र के माध्यम प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करें।
मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लो0नि0वि0, देहरादून

12-4-10

243 / 24 अधिशासी
12 / 04 / 2010

संख्या...../सचिव/लो०नि०वि०, रा०स०,
युवा कल्याण, ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/2010
देहरादून, दिनांक 22/03/2010

...so.gov.in
...@explosives.gov.in
...0562 – 2523266 / 2523244
...0562 – 2527436
...उद्देश्य के सभी पत्रादि संयुक्त ...स्फोटक नियंत्रक के पदनाम से भेजे ...सी के व्यक्तिगत नाम से नहीं ।
...ommunications intended for the office should ...addressed to the "Jt.Chief Controller of ...plosives" and NOT by name.

भारत सरकार
Government of India
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
Petroleum & Explosives Safety Organization
(पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग)
(Formerly Department of Explosives)
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Office of Jt.Chief Controller of Explosives
ए–विंग, द्वितीय तल, केन्द्रालय
A-Wing, IInd Floor, Kendralaya
63 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
63/4, Sanjay Place, Agra – 282002

हर दिवस – हिन्दी दिवस

DS(PWD)
...Strict Compliance ...
22/03/2010

1415/10

पंजीकृत

पत्रांक – ई(1)2 / जी0एफ0

दिनांक 17.03.2010

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव,
लो०नि०वि०, रा०स०, युवा कल्याण
ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तराखण्ड शासन

19 MAR 2010

सेवा में

श्रीमान सचिव
लोक निर्माण विभाग
सचिवालय, उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

VS
...
23/3

विषय उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्फोटकों की प्राप्ति, परिवहन, कब्जे में रखने एवं प्रयोग में गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में –

महोदय

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग), भारत सरकार, को विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों, जिसमें नवीनतम विस्फोटक नियम 2008 है, के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है । राज्य के लोक निर्माण विभाग, जिनमें कुमाऊँ एवं गढ़वाल क्षेत्र भी शामिल हैं, को कार्यपालक अभियन्ता के पक्ष में उच्च विस्फोटकों के भण्डारण एवं ब्लास्टिंग एक्सेसरीज के लिए काफी समय पूर्व अनुज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं जिनकी संख्या 20 से अधिक है ।

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, हाल ही में, विस्फोटकों को कब्जे में रखने एवं प्रयोग करने के सम्बन्ध में कई गम्भीर विसंगतियाँ पाई गई थीं । पूर्व में कई बार पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि प्राप्ति, परिवहन, कब्जे में रखने एवं प्रयोग के दौरान विस्फोटक नियमों एवं अनुज्ञप्ति में जारी शर्तों के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाए । बहरहाल मौजूदा प्रक्रिया में इन पत्राचारों से कोई सुधार हुआ प्रतीत नहीं होता है । अनुज्ञप्तिधारियों से चर्चा करने पर यह संज्ञान में आया कि क्रय किए गए एवं मैगजीन में भण्डार किए गए विस्फोटक उन ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं जिनके पास विस्फोटकों को कब्जे में रखने के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं है । इन ठेकेदारों को कई बार किसी क्षेत्र के विकास कार्य के सम्बन्ध में काफी मात्रा में विस्फोटक एवं ब्लास्टिंग एक्सेसरीज लम्बे समय के लिए दिए जाते हैं । चूंकि इन ठेकेदारों के पास कोई विस्फोटक मैगजीन नहीं होती है अतः उनके द्वारा इन विस्फोटकों एवं एक्सेसरीज को अपने आवास / कार्यालय में रख लिया जाता है जो कि बहुत खरतनाक है एवं विस्फोट के खतरे से भरा हुआ है एवं अनर्थकारी सिद्ध होगा । प्रायः ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे विस्फोटकों के प्रयोग की विभाग द्वारा देखरेख भी नहीं की जाती है अतः पिल्फरेज की भी बहुत अधिक सम्भावना है । चूंकि ठेकेदारों के पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं होती है अतः इस मामले में उनका उत्तरदायित्व न के बराबर है । वे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की संवीक्षा की परिधि से बाहर हैं । ठेकेदारों द्वारा विस्फोटक, प्रयोग हेतु शॉट फायरर्स को भी दिया जाता है जिससे पुनः गम्भीर मालप्रेक्टिस एवं पिल्फरेज की सम्भावना बढ़ जाती है । देश की वर्तमान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किसी भी स्तर पर ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए । यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ प्रभागों के पास कोई विस्फोटक मैगजीन ही नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अन्य प्रभागों के ठेकेदारों को विस्फोटक जारी कर दिए जाते हैं जिनके ऊपर अनुज्ञप्तिधारी का कोई नियंत्रण नहीं होता है । स्थिति वास्तव में चौकाने वाली है । अभी तक कोई गम्भीर घटना न होने का अर्थ यह नहीं कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा । इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए ।

SO-2
23/3/2010

23/3/10

निम्न सुझाव तत्काल अनुपालन हेतु प्रस्तुत किए

1. सम्बन्धित क्षेत्रों के लोक निर्माण विभाग के [illegible] ाओं की एक बैठक तत्काल आहूत की जाए एवं उनके साथ इस मामले में गम्भीरता से चर्चा की जाए ।
2. जिन प्रभागों के पास विस्फोटक मैगजीन नहीं है उनको परामर्श दिया जाए कि पेसो से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर विस्फोटक मैगजीनों का निर्माण करवाएं । यहाँ यह उल्लिखित किया जा सकता है कि अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया सरल कर प्रयोगकर्ता की सुविधानुसार कर दिया गया है ।
3. अनुज्ञप्तिधारी को चाहिए कि वह प्रत्येक क्षेत्र किसी कनिष्ठ अभियन्ता को आबंटित कर दे जो वहाँ प्रयोग होने वाले विस्फोटकों के लिए उत्तरदायी होगा ।
4. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता प्रस्तावित कार्य का रोज आकलन करे यथा खोदे गए होल्स की संख्या, प्रति होल चार्ज आदि। इन सांख्यिकी के आधार पर प्रतिदिन अपेक्षित विस्फोटकों की गणना की जानी चाहिए ।
5. इस प्रकार अपेक्षित विस्फोटक की मात्रा का आकलन कर, विस्फोटक जारी करने के लिए उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी / मैगजीन कीपर के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए । मैगजीन कीपर द्वारा मांग पत्र के अनुसार विस्फोटक जारी किया जाना चाहिए एवं इस बाबत पंजिका में प्रविष्टि दर्ज करके रखी जानी चाहिए ।
6. सिविल कार्य यथा होल्स खोदना, मलबा हटाना, अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्य आदि ठेकेदारों द्वारा किया जाना चाहिए । किसी भी हाल में ब्लास्टिंग कार्य अनु–अनुज्ञप्त ठेकेदारों को नहीं सौंपा जाना चाहिए ।
7. स्थल तक विस्फोटकों एवं एक्सेसरीज का परिवहन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा अनुमोदित पृथक कैरिंग बक्सों में किया जाना चाहिए । लम्बी दूरियों के लिए विस्फोटक परिवहन हेतु अनुज्ञप्त विस्फोटक यानों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
8. जो प्रत्येक शॉट फायरर के लिए एक जारी पंजिका मेन्टेन किया जाना चाहिए जिसमें किसी दिन विशेष को जारी किए गए विस्फोटकों एवं एक्सेसरीज की मात्रा, प्रयोग में लाई गई मात्रा एवं वापस की गई मात्रा का उल्लेख दर्ज किया जाए । इस पंजिका में शाट फायरर एवं संबंधित कार्य के प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
9. इस प्रकार के कई कार्य क्षेत्रों के समूह के लिए एक सहायक अभियन्ता ग्रेड के अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए जो कार्य, कार्यस्थल एवं प्रयोग किए जा रहे विस्फोटक आदि का आकस्मिक निरीक्षण करें ।
10. अनुज्ञप्तिधारी को स्वयं भी कार्यस्थल का माह में एक बार अथवा अपनी सुविधानुसार किसी अवधि में आकस्मिक निरीक्षण करना चाहिए ताकि विस्फोटकों के प्रयोग की प्रभावी निगरानी रखी जा सके ।
11. विस्फोटक किसी भी ठेकेदार को हस्तगत नहीं किए जाने चाहिए । यदि विभाग के पास अपने शाट फायरर नहीं हैं तो आवश्यक दस्तावेजों सहित अनुभवी व्यक्तियों को इस कार्यालय में भेज दिया जाए ताकि उनको इस कार्यालय द्वारा शॉट फायरर परमिट जारी कर दिया जाए । इसी बीच ठेकेदारों के शाट–फायररों को काम में लगाकर कार्य किया जाना चाहिए ।
12. विस्फोटक नियम 2008 में निहित जाँच बिन्दु एवं विवरणियों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की संवीक्षा विस्मयकारी सांख्यिकी प्रदर्शित करती है यथा कई तिथियों में विस्फोटकों के समान मात्रा के साथ काफी विविध एवं अनुपातहीन संख्या में डिटोनेटर्स एवं सेफ्टीफ्यूज़ का प्रयोग किया गया है । कई तिथियों में चट्टानों के ब्लास्टिंग के लिए केवल डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज का प्रयोग किया गया है । ऐसा असम्भव है कि ब्लास्टिंग के लिए केवल डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज का प्रयोग किया गया हो । विवरणी में कई तिथियों में इस प्रकार का विवरण दर्शाया गया है । इन विवरणियों से न केवल उनकी अवास्तविक प्रकृति प्रदर्शित हुई बल्कि यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसे सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया गया था । यह, विस्फोटक जारी करने एवं उनके प्रयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी का शिथिल रवैया दर्शाती है ।

विकास कार्यों में विस्फोटकों के प्रयोग की अवश्य आवश्यकता है । यही विस्फोटक विनाशकारी कार्यों के उद्देश्य से भी प्रयोग किए जा सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को विस्फोटकों का प्रयोग निहित उद्देश्य के लिए ही करना चाहिए । यह उल्लिखित किया जाता है कि सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व कुछ बैठकें आहूत की थीं एवं वास्तविक उद्देश्य के लिए विस्फोटकों के प्रयोग एवं अनुज्ञप्त विस्फोटक मैगजीनों से विस्फोटकों का दुरुपयोग एवं पिल्फरेज रोकने सम्बन्धी कुछ अधिसूचनाएं/मार्गदर्शी निदेश जारी किए थे । विस्फोटकों की प्राप्ति, भण्डारण, जारी एवं प्रयोग करने के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी को जागरूक करना चाहिए एवं उनके स्तर पर कोई भी लापरवाही गम्भीर परिणामों में परिणत हो सकते हैं । विस्फोटकों की प्राप्ति, परिवहन, भण्डारण एवं प्रयोग करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए ।

ा ही में कुछ समय पूर्व अनुज्ञप्तिधारियों को "क्या करें एवं क्या न करें" विस्फोटकों के परिवहन के ुरक्षा अपेक्षाएं, विस्फोटक मैगजीनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था, विस्फोटकों की पिल्फरेज रोकने हेतु ाने वाले कदम आदि सम्बन्धी मार्गदर्शी निदेश परिचालित किए गए थे । कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक जारी किए जाएं कि जनसुरक्षा के हित में इन सभी मार्गदर्शी निदेश का अनुपालन किया जाए । विस्फोटक म 2008 एवं ये सभी मार्गदर्शी निदेश वेबसाइट **www.peso.gov.in** में उपलब्ध हैं, जिन्हें आगामी सूचना हेतु खा जा सकता है ।

जबकि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को इन मुद्दों पर पत्र लिखने का प्रयास किया जा रहा है, आपकी ओर से विभागीय प्रमुखों को इन मुद्दों पर आवश्यक निदेश जारी करना एक सराहनीय कदम होगा एवं यह सामूहिक प्रयास, विस्फोटक नियम 2008, अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा ।

"क्या करें एवं क्या न करें" की प्रतिलिपि, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा जारी मार्गदर्शी निदेशों तथा इस कार्यालय द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को सम्बंधित कुछ पत्रों की प्रतिलिपियाँ संलग्न की जा रही हैं ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डी0 विजयन)
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल, आगरा

प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल, आगरा

यीन उद्देश्य के सभी पत्रादि
त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के
नाम से भेजे जाएं, किसी के
क्तिगत नाम से नहीं ।
communications intended for the office should be addressed to the "Jt.Chief Controller of Explosive" and NOT by name.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO)
(पूर्ववर्ती – विस्फोटक विभाग / DEPARTMENT OF EXPLOSIVES)
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
OFFICE OF JOINT CHIEF CONTROLLER OF EXPLOSIVES

दूरभाष संख्या – 2523266 / 2523244
फैक्स सं0 – 0562/2527436

ए–विंग, द्वितीय तल, केन्द्रालय
63/4, संजय प्लेस,आगरा–282002

No. E.(1)2/G.F.

Date: 16/03/2010

To

The Secretary
Public Works Department,
Secretariat, Govt. of Uttarakhand,
Dehradun.

Sub: Procurement, transportation, possession and use of explosives by the Public Works Department of Uttarakhand- serious irregularities regarding.

Dear Sir,

Petroleum and Explosives Safety Organisation (Formerly Department of Explosives) Government of India is entrusted with the administration of the Explosives Act, 1884 and the rules framed there under; the latest being Explosives Rules, 2008. Public Works Department of the state, including Kumayon and Garhwal region, have been granted with licences for storage of high explosives and blasting accessories in favour of Executive Engineers since long and their legion is more than twenty .

Of late serious discrepancies were noted in the possession and use of explosives by the licensees. The licensees were addressed several times in the past to adhere strictly to the provisions of the Explosives Rules and conditions of licences with regard to procurement, transportation, possession and use of explosives. However these communications did not appear to have entailed in any improvement in the existing process. It has been discerned from discussion with licensees that explosives purchased and stored in the magazine are issued to contractors, who do not possess any licence for possession of explosives. These contractors were often handed with large quantity of explosives and blasting accessories for development work pertaining to an area for a long period. Since these contractors do not possess any explosives magazine, these explosives and accessories are often stored in their residences/offices, which is highly dangerous and fraught with danger of an explosion, which would be disastrous. The use of explosives by the contractors are not often monitored by the department so that the chances of pilferage are indeed very high. The accountability on part of the contractors as they do not possess any licence is indeed very poor if not nil. They are beyond the scrutiny of the licensing authority. The use of explosives are also entrusted with the shot firers of the contractors, which again lead to probability of serious malpractices including pilferage. The present internal security environment of the country does not permit such lapses on the part of

any one. It was also discerned that often a number of division do not hold any explosives magazine with the result that the explosives are issued by the licensee to the contractors of other divisions on whom the licensee has absolutely no control. The situation is indeed alarming. Absence of any serious occurrence so far does not necessarily mean that it should not happen in future. This shall be viewed very seriously.

The following suggestions are offered for immediate compliance-

1) A meeting of the Chief Engineer of the PWD of the concerned region shall be convened and the matter shall be seriously discussed among themselves.
2) Those divisions which do not hold explosives magazine shall be advised to construct explosives magazines after obtaining due permission from PESO. It may be mentioned here that the procedure for grant of licence etc has been simplified and made user friendly.
3) The licensee shall allot each area of work to a particular Junior Engineer who shall be held responsible for the use of explosives.
4) The Jr. Engineer concerned should assess the proposed work on daily basis, viz the number of holes to be drilled, the charge per hole etc. Depending on these statistics, the amount of explosives required per day shall be calculated.
5) After assessing the quantity of explosives required, he shall place an indent to the licensee/magazine keeper for issuing the explosives. The magazine keeper shall issue the explosives as per the indent and make an entry into the register maintained by him.
6) The civil work viz drilling the holes, removal of debris, other constructional activities etc may be done by the contractors. In any case blasting operation shall not be entrusted to un-licensed contractors.
7) Explosives and accessories shall be transported separately in carrying boxes, approved by Chief Controller of Explosives, Nagpur at the site. For long distances, licensed explosive van shall be used for transportation of explosives.
8) An issue register shall be maintained for each shot firer in which the quantity of explosives and accessories issued on a particular date, the quantity used and the quantity returned shall be specifically mentioned. This register shall be signed by the shot firer and the Junior Engineer in-charge of the operation.
9) An officer of the grade of Asstt. Engineer shall be entrusted with a cluster of such work areas and he shall conduct surprise inspection of the work site, and use of explosives etc.
10) The licensee himself shall inspect the site of work by surprise in once in a month or at any period as per his convenience so that effective check shall be exercised on the use of explosives.
11) Explosives shall not be handed over to any contractors. In case, the department does not have its own shot firer, the experienced employees shall be sent to this office along with necessary documents so that shot firer permits can be issued by this office. Meanwhile the shot firer of the contractors shall be engaged and the work shall be conducted.
12) The checks and returns incorporated under the Explosives Rules, 2008 shall be complied with strictly. The scrutiny of these returns submitted by the licensees reveal outrageous statistics viz on several dates, the same quantity of explosives have been used with highly varying and disproportionate number of detonators and safety fuse. On several dates only detonators and safety fuses were used for blasting rocks. It is impossible that only detonators and safety fuses were used for blasting. On several dates such use has been shown in the returns. It not only reflected the non factual nature of these returns, but it was surprised to note that these returns were countersigned by the Jr. Engineer concerned. It reflected the lackadaisical approach of the concerned towards the issue and use of explosives.

Development activities indeed need use of explosives. The very same explosives can be used for destructive purposes too. Every individual shall be made to use the explosives for the intended purposes only. It is mentioned that the Secretary, Ministry of Home Affairs, Govt. of India had conducted several meetings in the recent past and issued several notifications/guidelines in the use of explosives for genuine purposes and also to prevent the misuse and pilferage of explosives from the licensed explosives magazines. The licensee shall be sensitized with regard to the procurement, storage, issue and use of explosives and any negligence on their part shall lead to very serious consequences. Every effort shall be made to streamline the whole process of procurement, transportation, storage and use of explosives.

In the recent past, licensees have been circulated with a series of guidelines of Do's and Dont's, the security requirements for transportation of explosives, security intended for the explosives magazine, the steps to prevent pilferage of explosives etc . Necessary instructions may kindly be issued to comply with all these guidelines in the larger interest of safety. The Explosives Rules, 2008 and these guidelines have been posted in the website www.peso.gov.in, which can be accessed for further information.

While every effort is being made to address the issues with individual licensees, it would be highly appreciated, if the necessary directions are issued by you to the departmental heads so that combined effort shall result in compliance of the guidelines of the Explosives Rules, 2008, the conditions of licence and the guidelines issued by the Home Ministry, Govt. of India.

Copy of Do's and Don'ts, guidelines issued by Chief Controller of Explosives and copies of few letters addressed to licensees are enclosed herewith.

Encl: As above

Yours faithfully

(D.Vijayan)
Jt. Chief Controller of Explosives
Central Circle, Agra

Copy to-
The Chief Controller of Explosives, Nagpur.- for information.

Jt. Chief Controller of Explosives
Central Circle, Agra

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
(पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग)
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा

ए–विंग द्वितीय तल
केन्द्रालय 63/4 संजय प्लेस
आगरा–282002
फोन नं0: 0562–2523266/2523244
फैक्स नं0: 0562–2527436

स्पीड पोस्ट

दिनांक : 14/01/2010

पत्रांक ई/एचक्यू/यूसी/22/18/ई2204

किया.....
तारीख 15 JAN 2010

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग
जिला–चमोली (उत्तराखण्ड)

विषय कर्णप्रयाग जिला–चमोली स्थित आपकी विस्फोटक भण्डारण मैगजीन अनुज्ञप्ति संख्या ई/एचक्यू/यूसी/22/18/ई2204 के निलम्बन के संबंध में।

महोदय

आपका ध्यान इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 5/10/2009 एवं 14/12/2009 की ओर आकर्षित किया जाता है। इस संबंध में आपसे प्राप्त पत्र दिनांक 30/12/2009 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके उक्त पत्र से ज्ञात हुआ है कि आप इस कार्यालय द्वारा दिए गए सुझावों को गम्भीरता से नहीं ले रहे है। आपके द्वारा प्रेषित की गयी मासिक विवरणी में निम्न अनियमिततायें पायी गयी:–

1– विस्फोटको के एकाउन्ट में आपने दिनांक 26/6/2009 से 25/9/2009 तक विस्फोटकों की प्राप्ति इकट्ठा दर्शायी है जबकि प्रत्येक कन्साइन्मेन्ट की प्राप्ति अलग–अलग दर्शाया जाना आवश्यक है।

2– जिस दिन कन्साइन्मेन्ट प्राप्त होता है उस दिन का मौजूदा एक्सप्लोसिव कालम नं0– 1, 2, 3 एवं 4 में दर्शायें तथा प्राप्त एक्सप्लोसिव का विवरण कालम नं0– 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 में दर्शाये।

3– आपसे प्राप्त आरई–5 में कई अनियमिततायें पायी गयी जैसे दिनांक 30/6/2009 को श्री हरी सिंह ने 5 किग्रा0 हाई एक्सप्लोसिव एवं 60 नं0 डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया जबकि सेफ्टी फ्यूज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। यह कार्यालय यह समझने में असमर्थ है कि साधारण डिटोनेर्स एवं हाई एक्सप्लोसिव सेफ्टी फ्यूज के बिना किस प्रकार इस्तेमाल किए गए।

4– दिनांक 2/7/2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक एवं 40 नं0 डिटोनेर्स को बिना किसी सेफ्टी फ्यूज के इस्तेमाल किया गया।

5– दिनांक 5/7/2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक बिना किसी डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज के इस्तेमाल किया गया है।

6– दिनांक 5/7/2009 को ही 5 किग्रा0 विस्फोटक आनन्द गिरि को जारी कियागया एवं उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया।

7– दिनांक 6/7/2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज के बिना किया गया । अगर आपके द्वारा डिटोनेटर्स एवं सेफ्टी फ्यूज के बिना विस्फोटकों को इस्तेमाल करने का कोई नया तरीका निकाला गया है तो इस कार्यालय को अवगत कराये।

8– दिनांक 9/7/2009 को हरीसिंह द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक एवं 60 नं0 डिटोनेर्स का इस्तेमाल किया गया।

9– दिनांक 12/7/2009 को आनन्द गिरि द्वारा 5 किग्रा0 विस्फोटक एवं 40 नं0 डिटोनेटर्स का बिना सेफ्टी फ्यूज के इस्तेमाल किया गया।

ऐसी अनियमिततायें दिनांक 3/8/09, 5/8/09, 12/8/09, 27/8/09, 28/8/09 (दो बार), 29/8/09, 31/8/09 (तीन बार) 01/9/09 (दो बार), 2/9/09 (दो बार), एवं अन्य कई दिन पायी गयी। रिटर्न से यह ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा जेल राजजेल–90, साधारण डिटोनेटर एवं सेफ्टी फ्यूज

का क्रय किया जाता एवं उन्हे इस्तेमाल किया जाता है। यह समझ में नहीं आता है कि बिना सेफ्टी फ्यूज के डिटोनेर्स एवं विस्फोटक का एवं बिना डिटोनेटर एवं सेफ्टी फ्यूज के हाई एक्सप्लोसिव का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपके द्वारा विस्फोटकों का रिकार्ड सही प्रकार से नही मेन्टेन किया जाता है। यह गम्भीर उल्लंघन है एवं सुरक्षा की दृष्टि से इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है। जैसाकि आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 5/10/2009 एवं 14/12/2009 के द्वारा सलाह दी गयी थी आपके द्वारा प्रेषित रिटर्न में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए विषयक परिसर के लिए जारी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन आदेश इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि रिकार्ड में सुधार कर संशोधित प्रारूप आई–5 एवं आरई–7 इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल आगरा

प्रतिलिपि प्रेषितः श्रीमान जिलाधिकारी, चमोली।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल आगरा

पंजीकृत डाक से

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन
(पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग)
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा

फोन नं0: 0562–2523266 / 2523244
फैक्स नं0: 0562–2527436

ए–विंग द्वितीय तल
केन्द्रालय 63 / 4 संजय प्लेस
आगरा–282002

कारण बताओ नोटिस

पत्रांक ई / सीसी / यूसी / 22 / 64 / ई34107 दिनांक : 13–01–2010

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

14 JAN 2010

विशय: ग्राम–पथाली जिला–रूद्रप्रयाग स्थित विस्फोटक भण्डारण गृह अनुज्ञप्ति संख्या ई / सीसी / यूसी / 22 / 64 / ई34107 के संबंध में।

महोदय

आपके द्वारा प्रेषित मासिक विवरणी से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है:–

1– दिनांक 5 / 7 / 2009 को 25 किग्रा0 विस्फोटक (विस्फोटक का नाम अंकित नहीं है) के साथ 300 नं0 डिटोनेटर एवं 183 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया।

2– दिनांक 14 / 7 / 2009 को 50 किग्रा0 विस्फोटकों के साथ 500 नं0 डिटोनेटर एवं 366 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है।

3– दिनांक 28 / 7 / 2009 25 किग्रा0 विस्फोटकों के साथ 250 डिटोनेटर एवं 183 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है।

उपरोक्त आंकडो से यह ज्ञात हुआ है कि प्रति डिटोनेटर 1 / 2 मी0 से 3 / 4 मी0 तक सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया। ऐसा लगता है कि यह आंकडे सही नहीं है। जैसाकि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24 / 9 / 2009 के द्वारा आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी थी इसके बावजूद आप के द्वारा प्रेषित मासिक विवरणी मे किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आया है । आपके द्वारा दिनांक 26 / 9 / 2009 को 10 किग्रा0 विस्फोटक एवं 100 नं0 डिटोनेटर्स के साथ 73.20 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया अर्थात प्रति होल .73 मी0 सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया जो कि असंभव एवं गैरकानूनी है। दिनांक 30 / 9 / 2009 को आपके द्वारा 2 किग्रा विस्फोटक एवं 250 नं0 डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया जबकि दिनांक 01 / 10 / 2009 को 25 किग्रा0 विस्फोटकों के साथ 200 नं0 डिटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया अर्थात एक दिन के अन्तराल पर उसी विस्फोटकों की मात्रा के साथ 50 नं0 डिटोनेटर्स अधिक इस्तेमाल किये गये।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24 / 9 / 2009 के द्वारा दिए गए सुझावों को आपके द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया गया है। आपको यह सलाह दी गयी थी कि विस्फोटकों के साइट पर इस्तेमाल की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा देखरेख की जाए, विस्फोटकों के सही इस्तेमाल की जांच की जाए, प्रत्येक शाट फायरर के लिए अलग–अलग इश्यू रजिस्टर बनाया जाए, जारी किए गए विस्फोटक एवं इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की जांच की जाए। आपके द्वारा मासिक विवरणी में दर्शाये गये आंकडे सही नहीं है एवं बनावटी हैं। यह समझ से परे है कि अलग–अलग दिनों में जारी किए गए विस्फोटक एवं डिटोनेटर की संख्या 50 किग्रा0, 25 किग्रा0, 15 किग्रा0, 50 किग्रा0, 50 किग्रा0, 60 किग्रा0 एवं डिटोनेटर्स की संख्या 500, 250, 150, 500 इत्यादि है । यह सही नहीं प्रतीत होता है जैसाकि आपको पूर्व में सलाह दी गयी थी कि विस्फोटक एवं डिटोनेर्स के इश्यू एवं इनके इस्तेमाल की जांच करें परन्तु आपके द्वारा इस सलाह को अमल में नहीं लाया जा रहा है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए विषयक परिसर के लिए जारी अनुज्ञप्ति को निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव है कृपया पत्र जारी होने के 15 दिनो के अन्दर कारण बतायें कि उक्त को ध्यान में रखते हुए क्यों न आपकी विषयक अनुज्ञप्ति निलम्बित कर दी जाए। उक्त अवधि में आपका जवाब प्राप्त न होने पर आपको और कोई सूचना दिए बिना विषयक अनुज्ञप्ति के निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल आगरा

(ए) – विस्फोटकों का भण्डारण एवं प्रयोग

र –

फोटकों का भण्डारण केवल अनुज्ञप्त मैगजीन में ही करें ।
जीन को सदैव अच्छी दशा में बनाए रखें ।
फोटकों के बक्सों एवं दीवाल के मध्य हमेशा 60 सें0 मी0 का गैंग–वे रखें ।
मैगजीन के सभी तड़ित चालकों की निरन्तरता एवं प्रतिरोधकता की वर्ष में एक बार जाँच अवश्य करवाएं । तड़ित चालक की प्रतिरोधकता 10 Ω से कम होनी चाहिए ।
5. अनुज्ञप्त परिसर में अनुज्ञप्ति संख्या एवं वैधता प्रमुखता से अंकित करें ।
6. मैगजीन के अन्दर फर्श से 2.5 मीटर की ऊँचाई पर 12 मि0मी0 मोटी लाल रेखा खींचें एवं विस्फोटकों के बक्सों को उसके ऊँचे न रखे ।
7. मैगजीन से 15 मीटर की दूरी पर फेंन्सिंग का प्रावधान करें एवं फैन्स्ड क्षेत्र को घासफूस से मुक्त रखें ।
8. विस्फोटकों का स्टॉक अनुज्ञप्त क्षमता तक ही सीमित रखें ।
9. सदैव पुराने विस्फोटकों का पहले निस्तारण करें ।
10. चौबीसों घण्टे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रखें ।
11. मैगजीन से 30 मीटर की दूरी पर सुरक्षा गार्ड के शेल्टर का प्रावधान करें ।
12. सदैव अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति / फर्म, जिनके लाइसेंस वैध हो, को ही विस्फोटक बेचें ।
13. विस्फोटकों की क्षति, चोरी या कम प्राप्ति के सम्बन्ध में सदैव विस्फोटक नियंत्रक एवं पुलिस को सूचित करें ।
14. विस्फोटकों पर किसी ठोस वस्तु के यांत्रिक दबाव से बचाव हेतु सदैव सावधानी बरतें ।
15. ब्लास्टिंग कार्य के लिए सदैव प्रमाणित ब्लास्टर्स को ही नियुक्त करें ।
16. स्थल पर "खतरा – विस्फोटक" एवं "रेडियो ट्रान्समीटर बन्द रखें" को दर्शाएं या इंगित करें ।
17. ब्लास्टिंग से पूर्व आम जनता को पर्याप्त चेतावनी जैसे कि लाल झण्डा का प्रदर्शन, सीटी बजाना आदि दिया जाए । ब्लास्टिंग का समय भी प्रदर्शित किया जाए ।
18. वज्रपात के दौरान ब्लास्टिंग कार्य रोक दिया जाए ।
19. ब्लास्टिंग शेड्यूल इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि विस्फोटकों से चार्ज किए गए होल्स उसी दिन तत्काल ब्लास्ट हो जाएं । यदि किसी कारण ऐसे चार्ज्ड होल्स का उसी दिन ब्लास्ट नहीं हो पाता है तो विस्फोटकों से चार्ज्ड ऐसे होल्स जब तक ब्लास्ट नहीं हो जाते हैं तब तक उचित सुरक्षा दूरी से उन पर निगरानी रखी जानी चाहिए ।
20. दिन के कार्य की समाप्ति पर बचे हुए अप्रयुक्त विस्फोटकों को सदैव सूर्यास्त से पूर्व मैगजीन में वापस भेज दें।
21. विस्फोटकों का उचित ध्यान रखें ।

क्या न करें –

1. शाटफायरर परमिट के आधार पर ब्लास्टर को विस्फोटक न बेचें ।
2. अनधिकृत व्यक्तियों को विस्फोटक न बेचें ।
3. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से निर्माण अनुमोदन तथा जिला अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विस्फोटकों के विनिर्माण या भण्डारण के सम्बन्ध में किसी भवन का निर्माण न किया जाए ।
4. स्थल पर, प्रयोग के बाद किसी विस्फोटक सामग्री को न छोड़ें ।
5. मैगजीन के बाहर विस्फोटकों का भण्डारण न करें ।
6. चिन्गारी उत्पन्न करने वाले औजारों का प्रयोग न करें ।
7. विस्फोटकों के बक्सों को फेंके या ऊपर से छोड़ें नहीं ।
8. विस्फोटकों के बक्सों की लदाई / उतराई के दौरान बेल हुक का प्रयोग न करें ।
9. विस्फोटकों के कार्टिजेस को काटे नहीं या विस्फोटकों के विवरण को बदलें नहीं ।
10. कार्टिज या विस्फोटकों के बक्सों पर अंकित चिह्नों को मिटाएं नहीं ।
11. उच्च विस्फोटकों एवं डिटोनेटर्स को एक साथ भण्डारण नहीं करें ।
12. मिसफायर विस्फोटकों का प्रयोग न करें ।
13. खराब (deteriorated) या रिसते हुए (exuded) विस्फोटकों का प्रयोग न करें ।
14. जब तक ब्लास्टिंग के लिए सब कुछ तैयार न हो तब तक डिटोनेटर को डिटोनेटिंग कॉर्ड के साथ नहीं जोड़ें ।
15. विस्फोटकों के भण्डारण एवं प्रयोग के स्थान के निकट मोबाइल फोन्स/पेजर्स का इस्तेमाल न करें ।
16. चार्जेस की तैयारी के दौरान लोहे की वस्तुओं का प्रयोग न करें ।
17. अधिकृति व्यक्ति का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर सत्यापित किए बिना विस्फोटकों की डिलीवरी न दें ।

SL-15

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
"प्रकीर्ण वर्ग"
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।

पत्रांक–156 /10अधिप्राप्ति /09 दिनांक–25/03/10।
24

सेवा में,

(1)मुख्य अभियन्ता,कु0/ग0 क्षेत्र,
लोक निर्माण विभागक
अल्मोड़ा/पौड़ी।

(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता
.....वॉ वृत्त,लो0नि0वि0
.....।

विषयः– Procurement, transportation, possession and use of explosives by the Public Work Department of Uttarakhand- serious irregularities regarding.

सन्दर्भः– पैट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय का पत्र पत्रांक ई(1)2/जी0एफ0 दिनांक 16.03.10।

उपरोक्त विषयक पत्र की छाया प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त गाइड लाइन को अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं को भी प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– पत्रानुसार।

मुख्य अभियन्ता,स्तर–।
25/3/10

प्रतिलिपिः– D.Vijayan Jt. Chief Controller of Explosives Central Circle, Agra. को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–16.03.10 के कम में इस आशय के साथ प्रेषित कि आपके उक्त पत्र के साथ संलग्न इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये हैं। पत्र पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त संलग्न पत्रों को भिजवाने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता,स्तर–।
25/3/10